(.चाप) कामगार -लगी ,हिसाबकिताब ,शिकायत कमिश्नर इलाहाबाद

न्यायाल

| मुकदमा स्थगित व मुख्तसर लिखा कि मुकदमा कब कि प्रति तारीख | आज मुकदमा निम्न प्रकार हिदायत के मुकदमा | स्थगित मुकदमा | तारीख हुक्म |
|---|---|---|---|
| 13.8.18 | / इसके बावजूद भी वादी / अभिभावक वादी गण उपस्थित नहीं हुये। अतः न्यायालय कि विनम्र राय में वादीगण की उपस्थिति नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सी.पी.सी. वाद खारिज किया जाना समीचीन प्रतीत होता है अतः वाद खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो (शुभम) न्यायाधीश / | | |